



दिनांक- 23.08.2019

झाँसी पुलिस

मीडिया सेल, पुलिस कार्यालय
जनपद झाँसी



थाना कोतवाली अंतर्गत घटित सनसनीखेज हत्याकाण्ड में संलिप्त हत्यारोपी पति-पत्नी आलाकत्ल हथौड़ी, एवं सोने, चाँदी के जेवरात, नगदी सम्पूर्ण बरामदगी लगभग 12 लाख 50 हजार रु० सहित गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी डा० श्री ओ०पी० सिंह के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर श्रीप्रकाश द्विवेदी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री जितेन्द्र सिंह परिहार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली जनपद झाँसी में दिनांक 17.08.19 को पीताम्बरा एनक्लेब में घटित हत्या की घटना में संलिप्त हत्यारोपियों में से थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.08.2019 को दो हत्यारोपियों 1- हंसराज पुत्र मोहन सिंह परिहार नि० करईयन मोहल्ला कस्बा व थाना चिरगाँव जनपद झाँसी उम्र करीब 27 वर्ष, 2- श्रीमती प्रियंका पत्नी हंसराज नि० करईयन मोहल्ला कस्बा व थाना चिरगाँव जनपद झाँसी मूल पता ग्रा० छपेडा थाना नूह जिला मेवात हरियाणा उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से 807000(आठ लाख सात हजार रुपये नगद, चार मोबाइल फोन, चार अंगूठी पुरुष, दो अंगूठी महिला, दो झुमकी पीली धातु, एक ब्रेसलेट, दो पायल, चार बिछिया सफेद धातु, आलाकत्ल एक अदद हथौड़ी रक्तरंजित मु०अ०सं० 515/19 धारा 302/404 भादवि से सम्बंधित बरामद हुए हैं। सम्पूर्ण बरामदगी की कीमत लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये हैं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.08.2019 को थाना कोतवाली अंतर्गत पीताम्बरा एनक्लेब के फ्लैट नं० G-6 में बलवीर प्रजापति पुत्र स्व० बाबूलाल नि० 786 नईबस्ती थाना कोतवाली झाँसी की हत्या अभय अग्रवाल, श्रीमती प्रियंका तथा दिनेश सिंह परिहार द्वारा की गयी थी, जिसके पश्चात अभियुक्त गण फरार चले रहे थे। इस सम्बन्ध में वादी श्री कपिल प्रजापति पुत्र स्व० बलवीर प्रजापति नि० 786 नईबस्ती थाना कोतवाली जनपद झाँसी द्वारा थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 515/19 धारा 302 भादवि बनाम 1. अभय अग्रवाल पुत्र स्व० राधेश्याम अग्रवाल नि० 03 टकसाल मानिक चौकी थाना कोतवाली झाँसी उम्र करीब 46 वर्ष 2. दिनेश सिंह परिहार 3. श्रीमती प्रियंका दिनांक 18.08.19 को पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना दिनांक 20.08.2019 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में संलिप्त हत्यारोपी अभय अग्रवाल पुत्र स्व० राधेश्याम अग्रवाल नि० 3 टकसाल मानिक चौक थाना कोतवाली जनपद झाँसी उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा घटना से सम्बन्धित कब्जे से 206000 रुपया व एक अदद मोबाइल फोन मय रसीद बरामद हुए थे।

बरामदगी-

1. 807000/- रु (आठ लाख सात हजार रुपये मात्र) नगद ।
2. दो अदद मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी व सैमसंग कम्पनी मय मोबाइल रशीद ।
3. दो अदद मोबाइल फोन नोकिया एवं सैमसंग की-पैड मय 04 सिमकार्ड ।
4. ज्वेलरी (चार अंगूठी पुरुष, दो अंगूठी महिला, एक मंगलसूत्र, दो झुमकी पीली धातु, एक अदद चैन पीली धातु, एक ब्रेसलेट, दो पायल, चार बिछिया सफेद धातु) मय बिल ।
5. आलाकत्ल एक अदद हथौड़ी रक्त रन्जित ।
6. एक अदद बैग, बैग की दुकान सुभाष मार्केट थाना सीपरी बाजार झाँसी से रुपया रखने के लिये खरीदा हुआ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली झाँसी मय टीम उ०नि० श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, उ०नि० श्री प्रमोद कुमार तिवारी, का० 1034 राजीव सिंह, का० 73 विक्रम सिंह, का 29 सोमेश सिंह, का० 660 राकेश कुमार, म०का० अनुपमा त्रिपाठी, का० चालक अंजुल यादव, थाना कोतवाली झाँसी ।
- 2- श्री संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद झाँसी मय टीम ।
- 3- श्री विजय पाण्डेय प्रभारी थाना रक्सा/ प्र.सर्विलांस सेल झाँसी मय का० दुर्गेश चौहान, सर्विलांस सेल झाँसी । उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह तक्खर प्रभारी स्वाट टीम झाँसी मय टीम का० प्रदीप सेंगर, का० योगेन्द्र चौहान, का० सतपाल स्वाट, का० शैलेन्द्र चौहान, का० पदम गोस्वामी, का० विमलेन्द्र, का० चालक रमेश द्विवेदी स्वाट टीम झाँसी ।

